PRESS NOTE

Sub:-Invites Online Application for Allotment of Govt. Accommodation under General Pool - regarding

The Housing & Estate Section, A&N Administration, Secretariat **Invites Online Applications** for allotment of Govt. Accommodation under General Pool from Govt. Employees of various Departments of A&N Administration for the session 2018-2019 wef **01/09/2018 - 30/09/2018**.

The existing seniority list of Govt servants in all types (2017-18) those who are not allotted Govt accommodation as per their entitlement are requested to apply fresh for current session (2018-19).

As per rule-5 of Allotment of Govt. Accommodation of A&N Administrative Residences (General Pool) Rules, 1991, allotment to such regular Govt. servants of the Administration will be made on the basis of seniority as determined from the date of their entry into Govt. service under the A&N Administration. Ad-hoc employees are not eligible for allotment of Govt. residential accommodation under General Pool and as such their applications will not be entertained.

The applications from Govt. servants joining duty in A&N Administration as fresh appointment, on transfer from out station, on deputation and out of turn allotment on medical ground shall continue to be received throughout the year through Online System and their placement in the seniority list shall be made accordingly.

The allottee/occupants who desired to change their present qtr to similar type/higher type shall also register their application on Online Portal through their DDOs.

Note:

i) The applicants who applied for allotment of Govt qtrs on seniority basis should submit hard copy of application alongwith copy of initial appointment order/transfer order from out station to Assistant Secretary (H&E) for verification.

ii) The applicant who applied for change of qtr must submit a hard copy of application alongwith copy of allotment order and occupation report to the Assistant Secretary (H&E)

iii) The applicant those who applied for out of turn allotment on medical ground should submit hard copy of application alongwith latest medical certificate to the undersigned.

iv) Applications forms are available in the web Portal www.and.nic.in/online allotment and registration will open from 01/09/2018 to 30/09/2018

v) The applicants/DDOs should register online application form very carefully as no alternation/modification will be allowed under any circumstances once submitted.

vi) The applicant should also upload their recent Passport photograph on the space indicated in the application form

vii) The applicant/DDO should provide all the mandatory details in the Online Portal failing which the application will not be accepted by the website.

viii) The website will also allow the applicant to take printout of the submitted application. Thereafter put his/her signature by giving declaration provided in the application which should be approved by HOD/DDO for submission to Assistant Secretary (H&E).

Kind attention to all Govt servant:

If any information/knowledge inrespect of sublet the Govt Accommodation by Govt servants may be informed to Assistant Secretary (H&E). The name of the informer has not been mentioned in the information letter.

F.No. 1-167/2015/H&E

अंडमान तथा निकोबार पशासन

Andaman & Nicobar Administration

सचिवालय/Secretariat

Port Blair, dated the 29th August 2018

Copy forwarded to:-

1. The Director (IP&T), A & N Administration, Port Blair for information and necessary action.
2. The Manager, Govt. Press, Port Blair with the request to publish the above 'Press Note" in the 'Daily Telegrams" and "Dweep Samachar" for two consecutive days on 30/08/2018 and 31/08/2018
3. The Chief Editor, the 'Daily Telegrams' and 'Dweep Samachar' Govt. Press , Port Blair with the request to publish the above 'Press Note' in the 'Daily Telegrams' for two consecutive days on 30/08/2018 and 31/08/2018
4. The Station Manager, All India Radio, Port Blair with the request to include the above matter in your news bulletin "Pradeshik Samachar".
5. The Director, Doordarsan Kendra, Port Blair for information and necessary action.
6. The State Informatics Officer, NIC, Andaman State Unit, Ranchi Basti, Port Blair for information.

Assistant Secretary (H&E)

<u>प्रेस नोट</u>

विषय:- सामान्य पुल के अधीन सरकारी आवास के लिए ऑनलाईन आवेदन से संबंधित।

आवास तथा संपदा अनुभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, सचिवालय 2018-19 सत्र के लिए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से दिनांक **<u>01.09.2018 से 30.09.2018</u>** के भीतर **<u>ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करते हैं</u>**।

सभी प्रकार के क्वार्टरों के लिए विद्यमान वरियता सूची (2017-18) जिन्हें उनके एनटाइटल्मेंट के अनुसार सरकारी आवास आबंटित नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे चालू सत्र (2018-19) के लिए नए सिरे से आवेदन करें।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासनिक निवास (सामान्य पुल) नियमावली, 1991 के नियम-5 के अनुसार प्रशासन के नियमित सरकारी कर्मचारी को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के तहत् सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख से उनकी वरिष्ठता निर्धारित होने के आधार पर आवास आबंटित किए जाएंगे। तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी जनरल पुल के तहत् सरकारी आवास के आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे और उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में प्रथम नियुक्ति हुई है, जो बाहरी द्वीपों से स्थानांतरण पर आए हैं या जो प्रतिनियुक्ति पर आए हैं तथा चिकित्सा आधार पर बिनबारी आबंटन के लिए उनके आवेदन पूरे वर्ष ऑनलाईन सिस्टम के द्वारा स्वीकार किए जाएँगे और इसी आधार पर वरिष्ठता सूची में उनका स्थान तय किया जाएगा।

ऐसे आबंटिती/ अधिभोगी जो अपने मौजूदा आवास को उसी प्रकार के/उच्च प्रकार के आवास से बदलना चाहते हैं वह अपने संबंधित डी.डी.ओ. के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल में अपने आवेदन पंजीकृत करा सकते हैं।

<u>नोट:</u>

1. जिन आवेदकों ने वरिष्ठता सूची के आधार पर सरकारी आवास के आबंटन हेतु आवेदन किया है, उन्हें उनकी प्रारंभिक नियुक्ति आदेश की प्रति के साथ आवेदन की एक प्रति जाँच हेतु सहायक सचिव (आ. और सं.) को जमा करनी चाहिए।
2. जिन आवेदकों ने आवास बदलने के लिए आवेदन दिया हो उन्हें आवेदन की एक प्रति के साथ आबंटन आदेश तथा अधिभोग रिपोर्ट सहायक सचिव (आ. और सं.) को जमा करना चाहिए।
3. जिन आवेदकों ने चिकित्सा आधार पर बिन बारी आबंटन के लिए आवेदन दिया हो उन्हें आवेदन की प्रति नवीनतम चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी को जमा करना चाहिए।
4. आवेदन प्रपत्र वेब पोर्टल www.and.nic.in/ऑनलाईन आबंटन पर उपलब्ध है तथा पंजीकरण दिनांक 01.09.2018 से 30.09.2018 तक होगा।
5. आवेदक/डी.डी.ओ. को बहुत ही सावधानी पूर्वक ऑनलाईन पंजीकरण करना होगा क्योंकि एक बार जमा किए जाने के बाद किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/अशोधन नहीं किया जा सकेगा।

6. आवेदक को आवेदन प्रपत्र में बताए गए स्थान पर हाल ही में लिया गया पासपोर्ट साइज़ फोटो अपलोड करना होगा।
7. आवेदक/डी.डी.ओ. को ऑनलाईन पोर्टल में सभी आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराना होगा अन्यथा वेबसाईट द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. वेबसाइट द्वारा जमा किए गए आवेदन के प्रिंटआउट लेने की अनुमति होगी। उसके पश्चात् आवेदन में उपलब्ध घोषणा में अपना हस्ताक्षर करें जो विभागाध्यक्ष/डी.डी.ओ. द्वारा सहायक सचिव (आ. और सं.) को जमा करने हेतु स्वीकृत किया जाना चाहिए।

कृपया सभी सरकार कर्मचारी ध्यान दें:-

सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास को किराए पर देने के संबंध में यदि कोई सूचना या जानकारी हो तो उसकी सूचना सहायक सचिव (आ. और सं.) को दें। सूचना देनेवाले का नाम सूचना पत्र में देने की आवश्यकता नहीं है।

सं.1-167/2015/आ एवं सं.
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय
*****

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 29 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रसरित

1. निदेशक (सूचना, प्रचार एवं पर्यटन), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. प्रबंधक, सरकारी मुद्रणालय, पोर्ट ब्लेयर को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त प्रेस विज्ञप्ति को डेली टेलीग्राम्स तथा द्वीप समाचार के दिनांक 30.08.2018 तथा 31.08.2018 को लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करें।
3. मुख्य संपादक, डेली टेलीग्राम्स् तथा द्वीप समाचार, सरकारी मुद्रणालय, पोर्ट ब्लेयर सचिव को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त प्रेस विज्ञप्ति को डेली टेलीग्राम्स तथा द्वीप समाचार के दिनांक 30.08.2018 तथा 31.08.2018 को लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करें।
4. स्टेशन मैनेजर, आकाशवाणी, पोर्ट ब्लेयर को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त विषय को अपने समाचार बुलेटिन 'प्रदेशिक समाचार' में शामिल करें।
5. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, एन आई सी, अण्डमान राज्य इकाई, रांची बस्ती, पोर्ट ब्लेयर को सूचनार्थ।

सहायक सचिव (आ. और सं.)